

न्यायालय:— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 401/2012
संस्थापन दिनांक 18.08.2012

- 1— गुलाबसिंह, आयु 42 साल,
पुत्र— बलजीतसिंह ,
- 2— रामसिया, पुत्र —दर्शनलाल,
उम्र—52 साल,
3. लाखनसिंह, आयु—29 साल,
4. धमेन्द्र जाटव उर्फ धमेन, आयु—27 साल,
पुत्रगण—रामसिया,
निवासीगण—ग्राम देहगवां, तहसील गोहद
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----अपीलार्थीगण/आरोपीगण

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र मौ,
जिला—भिण्ड (म०प्र०)

-----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री एम०एल० मुदगल, अधिवक्ता

न्यायालय—श्री एस०के०तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक—33/2009 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 24/09/2012 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 17 जुलाई, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थीगण/आरोपीगण गुलाबसिंह, रामसिया, लाखनसिंह, एवं धमेन्द्र जाटव की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा—374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री एस०के०तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 33/2009 निर्णय दिनांक—24/09/2012 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है , जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/आरोपीगण को कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आरोपी/अपीलार्थी गुलाबसिंह तथा आहत साक्षी रामसेवक आपस में सगे भाई हैं और आरोपी/अपीलार्थी रामसिया इन सभी का बेहनोई तथा लाखनसिंह व धमेन्द्र उनके सगे भान्जे हैं। यह भी निर्विवादित है कि आरोपी/अपीलार्थी गुलाबसिंह और फरियादी/आहत अजमेर का चौथा भाई सरनाम था, जो कि मकान बनाने का कारीगरी का काम करता था जिसकी मकान बनाते समय दुर्घटनावश गिर जाने से मृत्यु हो गई और उसके मुआबजे के संबंध में प्रकरण चला था तथा ठेकेदार से मुआबजा प्राप्त हुआ। स्वर्गीय सरनाम की वारिस उसकी नावालिग पुत्री ज्योति है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 15.12.2008 को दिन के लगभग 10:00 बजे फरियादी अजमेरसिंह हैण्डपम्प पर भैंसों को पानी पिला रहा था उसी समय आरोपी गुलाब आया ओर उसने फरियादी को एक लाठी मारी जो उसके दाहिने हाथ पर लगी। इसके बाद आरोपी धमेन्द्र आया उसने भी लाठी मारी जो पंजे में लगी, आरोपी लाखन ने आकर एक लाठी मारी जो बाये हाथ की कोहनी के नीचे लगी, उसी समय आरोपी रामसिया आया उसने एक और लाठी मारी जिससे फरियादी को चोट लगकर खून निकला व सूजन आ गई। मौके पर हरीसिंह कारीगर, गोपी, आदि आ गये जिन्हें देखकर आरोपीगण भाग गये। फरियादी अजमेरसिंह ने थाना मौ पर घटना की रिपोर्ट की जिस पर से अपराध क्रमांक 40/09 कायम कर मामला विवेचना में लिया गया तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा- 323, 325/34 भा0दं0सं0 तहत आरोप लगाये जो आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपों से इंकार किया, उनका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थीगण को धारा-325/34 भा0दं0सं0 में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500- 500 रुपये अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गंभीर विरोधाभास हैं। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों ने घटना की पुष्टि नहीं की है। फरियादी तथा रामसेवक आपस में सगे भाई हैं हितबद्ध साक्षीगण है। विचारण न्यायालय ने उनके कथनों पर विश्वास करने में भूल की है। झगड़े का मुख्य कारण आरोपी गुलाब के भाई सिरनाम की मृत्यु से उसकी लडकी को प्राप्त 50,000/-रुपया है, फरियादी व उसका भाई चाहते हैं कि रुपया उसको मिले। आरोपी गुलाब ने वह रुपया अपनी सरपरस्ती में बैंक में जमा किए हैं। यही रुपया झगड़े का मुख्य कारण है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर गंभीर भूल की है। चिकित्सक और आहत के कथनों से भी तात्विक विरोधाभास प्रकट हुए हैं जिससे अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय व दण्डाज्ञा पारित की है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा अपास्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे।

6. अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थीगण को चेतावनी देकर या जुर्माना से दण्डित कर छोड़ दिया जावे, जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है उनकी ओर से यह भी तर्क किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थीगण को उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे।

07- अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उन्हें इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?”
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

--: **निष्कर्ष के आधार** --:

08- अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया। बचाव पक्ष अधिवक्ता व अतिरिक्त अभियोजक के तर्कों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा बताई गई घटना की प्रदर्शनी-1 की अदम्य चैक रिपोर्ट प्रदर्शनी-2 प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक हरीसिंह कारीगर और गोपी परिहार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताये गये हैं, जिनमें से अभियोजन द्वारा हरीसिंह को विचारण के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.10.2011 को उपस्थित होने के वावजूद अपरिक्षित छोड़ा गया जिससे अभियोजन के विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होगी कि साक्षी हरीसिंह अवश्य ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करता, अन्यथा उसे साक्ष्य में पेश किया जाता। दूसरा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गोपी परिहार (अ0सा04) के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अभियोजन कथानक का पक्ष विरोधी होकर कोई समर्थन नहीं किया है और झगडा देखने या उसके बारे में कोई जानकारी होने या झगडे में बीचबचाव करने से इंकार किया है। ऐसे में दोनों दोनों स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से अभियोजन कथानक का अभिलेख पर आई साक्ष्य से समर्थन नहीं है और आहत अजमेरसिंह (अ0सा01), चिकित्सक, विवेचक प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक के अलावा रामसेवक (अ0सा02) के रूप में आरोपी/अपीलार्थी गुलाबसिंह और आहत अजमेरसिंह के सगे भाई को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसे भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अनुसंधान के दौरान बताया गया है जो कि अभिसाक्ष्य भी देता है। ऐसे में आहत अजमेरसिंह और रामसेवक की साक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में जो निष्कर्ष निकाले हैं उसके अनुसार उक्त दोनों साक्षियों को अभियोजन के मामले के अनुरूप साक्ष्य दिया जाना मानते हुए और कोई तात्त्विक विरोधाभास न होना निष्कर्षित करते हुए दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा अधिरोपित की गई है। इसलिए यह देखना होगा कि क्या उक्त आशय का आलोच्य निर्णय की कंडिक 17 में निकाला गया निष्कर्ष तथ्यों परिस्थितियों के अनुरूप होकर विधिसम्मत है अथवा नहीं? क्योंकि अपीलार्थीगण की ओर से अन्य भाई सरनाम की दुर्घटना में हुई मृत्यु के मुआबजे के रूप में प्राप्त हुई राशि को लेकर व उनके भाई स्वर्गीय सिरनाम के मकान को लेकर बुराई भलाई विद्यमान पाई गई है और उसी को मामले को दर्ज कराये जाने का कारण प्रकट किया गया है जिसके संबंध में बचाव साक्ष्य भी दी है तथा जिसपर रंजिश के बिन्दु भी विद्यमान हैं।

09. यह सुस्थापित विधि है कि रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार की तरह होती है जो दोनों तरफ से वार करती है अर्थात् जहाँ एक ओर रंजिश झूठा फंसाये जाने की संभावना बनी रहती है वही दूसरी ओर यह भी स्वभाविक है कि रंजिश के कारण ही घटना को अंजाम दिया जावे। ऐसे में यह बिन्दु प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि यह बिन्दु किस पक्ष को बल प्रदान करता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत रुली एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2002 एस0सी0सी0.(किमि0) पेज-1837 में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। इसलिए इस मामले में भी आगे विश्लेषण में

यह देखना होगा कि पक्षकारों के मध्य कोई रंजिश थी या नहीं? यदि है तो उसका प्रकरण में या किस पक्ष को लाभ प्राप्त हो सकता है।

10. आहत अजमेरसिंह (अ0सा01) और रामसेवक (अ0सा02) दोनों ही रिश्ते में सगे भाई हैं किन्तु आरोपी/अपीलार्थी गुलाब भी उनका सगा भाई है और शेष आरोपी रिश्तेदार है। ऐसे में उनकी साक्ष्य पर रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर न तो अविश्वास किया जा सकता है न ही इस आधार पर त्यागा जा सकता है। जैसाकि न्यायदृष्टांत रणधीरसिंह विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1994 एम0पी0एल0जे0-452 में मार्ग दर्शित किया गया है। लेकिन यह अवश्य है कि प्रदर्श पी-1 की अदम चैक रिपोर्ट और प्रदर्श पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में रामसेवक की घटनास्थल पर विद्यमानता नहीं बताई गई है और न ही उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रकट किया गया है तथा अनुसंधान के दौरान वह साक्षी के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए उसकी साक्ष्य का सूक्ष्मतः विश्लेषण करना होगा।

11. परीक्षित साक्षियों में से डा0 हरीश हासवानी (अ0सा05) ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 15.12.2008 को ही सी0एस0सी0, मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर रहते हुए आहत अजमेरसिंह की चोटों का परीक्षण कर उसकी मेडीकोलीगल रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 तैयार करना बताया है और आहत अजमेरसिंह के शरीर पर चार चोटें बताई गई हैं, जिनमें चोट क्रमांक-1 के रूप में दाहिनी अग्रभुजा पर पीछे की तरफ नीचे की ओर 2इंच गुणित 11/4 इंच गुणित 1/3 से0मी0 का फटा घाव, चोट नं02 के रूप में दाहिने हाथ पर सूजन और दबाने पर दर्द, उगली की हडडी पर दर्द की शिकायत, चोट नं03 के रूप में बांये हाथ पर सूजन और दबाने पर दूसरी उगली में दर्द की शिकायत तथा चोट क्रमांक 4 के रूप में एक छोटा सा फटा घाव बांये अग्रभुजा पर पाया था जिससे खून निकल रहा था और कोहनी को दबाने पर दर्द की शिकायत पाई थी और फटा हुआ घाव बाहरी तरफ था। उक्त चारों चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर की बताते हुए चोट क्रमांक 2 लगायत 4 का एकसरे परीक्षण करना भी बताया है। जिसकी प्रदर्श पी-4 की एकसरे रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गई थी जिसके अनुसार बांये हाथ की दूसरी व तीसरी अंगुली में मेटाकार्पल हडडी का अस्थिभंग पाया था। प्रदर्श पी-3 में तीसरी मेटाकार्पल हडडी में चोट का उल्लेख न किया जाना उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। जबकि प्रदर्श पी-3 में चोट क्रमांक-2 के रूप में उल्लेख है। उक्त चोट भैंस के द्वारा धक्का दिए जाने पर हाथों के बल गिरने पर आने की संभावना से इंकार किया है किन्तु इंकारी का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसलिए परिस्थितियों के आधार पर यह भी विश्लेषित करना होगा कि क्या आहत अजमेरसिंह की चोटें भैंस के धक्का देने या किसी तरह गिरा देने पर आना संभव है या नहीं क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से ऐसा आधार लिया गया है तथा कथानक में बताए गये घटना स्थल पर भैंस की उपस्थिति भी बताई गई है। क्योंकि अभियोजन कथानक के अनुसार आहत अजमेरसिंह हैण्डपम्प पर भैंस को पानी पिलाने के लिए लेकर गया था और प्रदर्श पी-5 का घटना स्थल का जो मानचित्र बनाया गया है उसमें घटना स्थल हैण्डपम्प के पास दर्शाया गया है जहाँ गांव का आम रास्ता भी है। ऐसे में घटना स्थल सख्त धरातल होना उपधारित होता है लेकिन इसके संबंध में विवेचक के द्वारा भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और सख्त धरातल पर भैंस जैसे पशु जिसे पानी पिलाने के लिए लाया गया यदि वह पानी पिलाने वाले को किसी तरह से गिरा दे तो गिरने वाला व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अपने हाथों का सहारा लेगा, ऐसे में हाथों के बल गिरने की दशा में चोट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए डा0 हरीश हासवानी (अ0सा05) के द्वारा पैरा-10 में दी गई राय स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि चिकित्सक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ऐसा किस कारण से संभव नहीं है। जबकि आहत को जो

चोटें पाई गई है वह केवल दोनों हाथों में हैं, शरीर के अन्य जगह नहीं है जबकि चोटों की संख्या चार है और सभी आरोपीगण पर लाठियाँ बताई गई है। ऐसे में चिकित्सक अभियोजन साक्षी क05 की साक्ष्य से प्रदर्श पी-3 एवं 4 की मेडीकोलीगल एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रमाणित हुई है जिससे आहत अजमेरसिंह को दिनांक 15.12.2008 को शरीर पर उक्त चोटें विद्यमान होना प्रमाणित होता है। कथानक के अनुसार घटना सुबह दस बजे की है और उसका मेडीकल परीक्षण दोपहर 3:30 बजे किया गया है तथा चोटों की जो समय अवधि बताई गई है उससे बताई गई घटना के समय की ही चोटें हो सकती हैं। इस पर विरोधाभासी स्थिति नहीं है किन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या चोटें हैण्डपम्प पर आहत अजमेरसिंह के गिरने पर आई या आरोपी/अपीलार्थी द्वारा साशय स्वेच्छयापूर्वक पहुंचाई गई।

12. आहत अजमेरसिंह के बांये हाथ के दूसरे ओर तीसरी उगली में पाये गये अस्थिभंजन से वह चोट भा0दं0सं0 की धारा 320 (सातवा) के परिधि में आने से घोर उपाहति होकर धारा 325 भा0दं0सं0 की परिधि में आता है। शेष चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से पहुंचाया जाना धारा 323 भा0दं0सं0 की परिधि में आता है।

13. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि बताये गये घटनाक्रम में आरोपीगण का कोई आशय स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे भी घटना झूठी हो जाती है, जिसका ए0जी0पी0 द्वारा विरोध किया गया है। इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 39 के आधार पर आलौच्य निर्णय में निष्कर्ष दिया है जिसमें स्वेच्छयापूर्वक शब्द परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिणाम को 'स्वेच्छया' कारित करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों के द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था, या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है।

14. प्रदर्श पी01 व 2 की रिपोर्ट में बताये गये कथानक अनुसार चारों आरोपी/अपीलार्थीगण का एक साथ आना नहीं बताया गया है बल्कि क्रमवार तरीके से चलचित्र की भांति आना बताया है कि सबसे पहले गुलाब आया उसके बाद उसने लाठी मारी जो दाहिने तरफ सीना में लगी जिसकी चोट होना मुलाहजा फार्म में भी लेखबद्ध किया गया है, लेकिन चिकित्सक द्वारा प्रदर्श पी.-3 अनुसार सीने में कोई चोट नहीं पायी गयी है और रिपोर्ट में गुलाब के द्वारा ओर कोई चोट पहुंचाना नहीं बताया गया है जबकि आहत अजमेरसिंह अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में गुलाब द्वारा दाहिने हाथ के पंजे के उपर ओर पहुँचा में लाठी मार कर चोट पहुंचाया जाना कहता है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बांये हाथ के पंजे पर रामसिया के द्वारा लाठी मारना बताया है जो सबसे आखिर में आया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में रामसिया के द्वारा दूसरी लाठी दांये हाथ की कलाई में भी मारना बताया गया है जबकि अजमेरसिंह रामसिया के द्वारा दाहिने हाथ के पंजा में ही लाठी मारना बताता है, कलाई में कोई चोट या लाठी मारना नहीं कहता है। आरोपी धमेन्द्र के द्वारा बांये हाथ के पंजे पर लाठी मारना वह प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अवश्य कहता है और लाखन के द्वारा हाथ के डंडा व कोहनी में चोट बताता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बांये हाथ की कोहनी बताई है कथन में इस आहत ने स्पष्ट नहीं कहा है। मौके पर वह अपने भाई का आना पैरा-1 में कहता है लेकिन प्रदर्श पी-1 व 2 में रामसेवक का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में रामसेवक का साक्षी बनने का कारण भी देखना होगा। अजमेरसिंह ने अपनी साक्ष्य में स्वीकृत तथ्यों के अलावा यह भी स्वीकार किया है कि भाई सिरनाम के खत्म होने

पर ठेकेदार से मुकदमा गुलाब ने लड़ा था, जिसमें 75000 रुपये ठेकेदारद्वारा दिया गया है जिस पर से उसने आरोपी/अपीलार्थी गुलाबसिंह से विवाद बताया है कि रुपयों के बारे में गुलाबसिंह से उसका विवाद था कि वह रुपये लड़की ज्योति को दे दे इसी वजह से उनकी आरोपीगण से रंजिश है। उसने आरोपी/अपीलार्थी रामसिया से विवाद का कारण भी बताया है कि शुरु में सिरनाम के खत्म होने पर ज्योति जो कि उस समय 6-7 साल की थी उसे रामसिया ने अपने पास रख लिया था और रामसिया ने ज्योति के मकान पर कब्जा कर लिया है, खाली नहीं कर रहा है।

15. आहत अजमेरसिंह के प्रतिपरीक्षण में बताये तथ्यों से यह प्रकट होता है कि गुलाब से उसके मृतक भाई सिरनाम की क्षतिपूर्ति की राशि पर विवाद है और रामसिया से सिरनाम की एक मात्र वारिस ज्योति के मकान के ऊपर से विवाद है। ऐसे में बचाव पक्ष का इन आधारों पर ही अभियोजित किए जाने का लिया गया आधार बल रखता है जैसा कि बाबूराम (ब0सा01) और आरोपी/अपीलार्थी गुलाब (ब0सा02) ने धारा 315 भा0दं0सं0 के तहत दिए कथन में प्रकट किया है तथा उसे प्रारंभिक अवस्था में ही उठाया है। अजमेरसिंह ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि हैण्डपम्प पर जब वह भैंस को पानी पिलाने के लिए गया तब ऐसी कौनसी बजह रही जिसके कारण चारों आरोपीगण ने बारी-बारी से आकर लाठियों से मारा जबकि स्वभाविक रूप से यदि चार लोगो को किसी के साथ मारपीट कर घटना को अंजाम देने हो और उनकी मारपीट का आशय हो तो वह एक साथ आकर मारेगें, हालांकि ऐसा हर परिस्थिति में आवश्यक नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम कथानक में बताया गया है कि क्रमवार तरीके से एक एक व्यक्ति आया और लाठी मारता गया और उसकी कोई बात नहीं हुई, यह कतई संभव नहीं है। क्योंकि लाठी लेकर जब कोई व्यक्ति किसी को मारेगा तो जब तक बीच बचाव न हो तब तक प्रहार करने का प्रयासरत बना रहेगा। ऐसे में अजमेरसिंह का अभिसाक्ष्य कथानक का समर्थित करने वाला और स्वभाविक होकर विश्वास योग्य होना परिलक्षित नहीं होता है बल्कि मुआबजे की राशि और मृत भाई के मकान को ऊपर बताए गये विवाद के आधार पर अभियोजित कराए जाने की परिस्थितियाँ अधिक प्रबल हैं जिसकी पुष्टि रामसेवक (अ0सा02) के प्रतिपरीक्षा में की गई स्वीकारोक्ती से भी परिलक्षित होती है, जिसमें रामसेवक यह स्वीकार करता है कि मुआबजे के 70-75 हजार रुपये ठेकेदार ने लड़की ज्योति को दिए उसे आरोपी गुलाबसिंह को दिए और सिरनाम के खत्म हो जाने पर उसके मकान में उसका बेहनोई रामसिया आकर रहने लगा और कब्जा कर लिया जिससे वह नाराज है। उसको नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि मुआबजे की राशि जमा करने के लिए गुलाब उसे साथ नहीं ले गया बल्कि दूसरी पार्टी के लोगों को ले गया। संभवतः उसके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने का भी यही कारण परिलक्षित होता है। ऐसे में रामसेवक की मुख्य परीक्षण की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है न ही उसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी माना जा सकता है। क्योंकि यदि वह वास्तव में मौके पर होता जैसी कि घटना बताई गई है तो प्रदर्श पी-1 एवं 2 में उसकी उपस्थिति अवश्य प्रकट की जाती जिसके अभाव में अभियोजन के मामले में संदेह प्रबल है, जो कथानक को दूषित बनाता है।

16. रामसेवक (अ0सा02) की साक्ष्य इसलिए भी भरोसे योग्य नहीं है कि कथानक से भिन्न उसकी साक्ष्य है। जैसे कि वह सुबह दस बजे अपने भाई अजमेरसिंह के साथ पानी पिलाने के लिए हैण्डपम्प पर जाना कहता है। लेकिन ऐसा न तो अजमेरसिंह ने बताया और न ऐसा कथानक है कि अजमेरसिंह के साथ रामसेवक भी हैण्डपम्प पर भैंसों को पानी पिलाने गया था। दूसरी ओर वह मारपीट की घटना उस समय बताता है जब वह भैंसों को बांधने घर चला गया था फिर वह रामसिया को अजमेरसिंह को लाठी मारते हुए देखना भी कहता है जो वांछे हाथ में लगी।

जबकि कथानक के मुताबिक और अजमेरसिंह के अनुसार रामसिया द्वारा दांये हाथ में लाठी मारी गई। ऐसे में भी उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं माना जा सकता है। रामसेवक की साक्ष्य अस्थिरतापूर्ण है क्योंकि तीसरी परिस्थिति में वह यह भी कहता है कि उसने चारों आरोपी/अपीलार्थी को मौके पर लाठी मारते देखा वह पहुँचा तो झगडा चल रहा था चारों को लाठी लेकर भागते हुए भी देखा। इस अंतर्विरोध के चलते कोई भी साक्षी विश्वसनीय नहीं रह जाता है और यह बिन्दु तो मुख्य परीक्षण में ही आया है। जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में अजमेरसिंह और रामसेवक को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय साक्षी मानकर तथ्यात्मक त्रुटि की है।

17. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक मामले को प्रमाणित करने का भार हमेशा अभियोजन पर रहता है। अर्थात् बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य दी जावे अथवा न दी जावे तब भी प्रमाणभार अभियोजन पर ही कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित और प्रमाणित किए जाने का बना रहाता है। हस्तगत प्रकरण में बाबूराम (ब0सा01) ने पैरा-3 में घटना के समय गर्मी के दिन बताये हैं जबकि घटना दिनांक 05.12.2008 की अर्थात् सर्दियों की है। बाबूराम निबरोल कॉलोनी गोहद का निवासी है और घटना देहगवां ग्राम की है जहाँ जयसिंह के यहाँ उसकी ससुराल है जैसाकि उसके पैरा-3 से स्पष्ट होता है और वह बताये गये दिनांक को ग्राम देहगवां में जाना और हैण्डपम्प पर उस समय नहाना बता रहा है। जब अजमेरसिंह भैंस को पानी पिलाने आया तब उसकी भैंस ने उसे टक्कर मार कर गिरा दिया। दूसरे भैंस के टक्कर मारने का बिन्दु उक्त बचाव साक्षी के कथन से पूर्ण प्रमाणित नहीं हुआ। ऐसे में बचाव साक्षी क्रमांक-1 विश्वसनीय साक्षी नहीं है किन्तु इस आधार पर अभियोजन का कथानक संदेह से परे प्रमाणित नहीं ठहराया जा सकता है।

18. गुलाब (ब0सा02) के रूप में परीक्षित हुआ जो कि प्रकरण का अभियुक्त है उसने प्रदर्श डी-1 में एस0बी0आई0 लाईफ इंश्योरेन्स कं0 लि0 में 50,000/-रुपये की प्रीमियम बीमा प्लस रेगुलर स्कीम में जमा करना बताया है जो बैंक से जमा किए हैं और उसने ज्योति के मिले मुआबजे की राशि जमा करना बताया जो आहत अजमेरसिंह और रामसेवक मांगता था जिसके कारण वह झूठा फंसा देना कहता है जिसे दृष्टिओझल नहीं किया जा सकता है और घटना सर्दियों के समय की बता रहा है। उस पर अभियोजन की ओर की गई जिरह के पैरा 3 में यह सुझाव कि सभी आरोपीगण ने अजमेरसिंह को पाने भरने की बात से मारपीट की जिसे गुलाब ने इंकार किया है अर्थात् अभियोजन झगडे का कारण पानी भरने का विवाद प्रकट करता है जबकि कथानक में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। न ही अजमेरसिंह द्वारा बताया गया कि उसका पानी का भरने के उपर कोई विवाद हुआ जिसके कारण उसकी मारपीट हुई हो। ऐसे में बचाव साक्ष्य में प्रकट किए गये तथ्यों का परिस्थितियों से मिलान हो रहा है जिसे भी विद्वान अधीन अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा करके विधिक भूल की है। ऐसे में आहत अजमेरसिंह को पाई गई चोटघटना स्थल वाले हैण्ड पम्प के सख्त धरातल पर भैंस द्वारा गिराए जाने या किसी अन्य तरह के गिरने की दशा में आना प्रबल दिखाई पड़ता है। आरोपी/अपीलार्थी द्वारा उसे स्वेच्छया लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया घोर व साधारण उपहतियों कारित किया जाना ऐसे स्थिति में संदेहजनक है। इसलिए रंजिश का जो बिन्दु दोनों पक्ष प्रकट करते हैं उससे आरोपी/अपीलार्थी गण के लिये गये आधार को बल मिलता है कि ज्योति को प्राप्त हुए मुआबजे की राशि ओर उसके मकान में रामसिया के रहने के कारण ही उन्हें अभियोजित कराया गया।

19. अन्य परीक्षित साक्षियों में प्रधान आरक्षक रामप्रताप (अ0सा03) के द्वारा प्रदर्श पी-1 की अदम बैंक रिपोर्ट लेखबद्ध किया जाना और आहत अजमेरसिंह के मेडीकल परीक्षण और एक्सरे

के आधार पर धारा 325 भा0दं0सं0 का इजाफा करते हुए प्रदर्श पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम करना बताया है किन्तु प्रदर्श पी-1 और 2 का कथानक आहत व महत्वपूर्ण बताये गये साक्षियों से प्रमाणित न होने से उक्त साक्ष्य से उन्हें प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकाश में शेष विवेचना करने वाले प्रधान आरक्षक राधाकिशन (अ0सा06) से विवेचना को प्रमाणित माना जा सकता है जिसमें उसके द्वारा प्रदर्श प्रदर्श पी-5 के नक्शा मौका के अलावा साक्षियों के कथन और आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी स्वीकृत है। ऐसे में उक्त कारण साक्ष्य औपचारिक स्वरूप है और उससे कोई घटना के तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं।

20. इस प्रकार समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन का हस्तगत मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त साक्ष्य की गहनता से विश्लेषण किए बिना प्रमाणित मान कर निश्चित ही गंभीर त्रुटि की है। इसलिए आलोच्य निर्णय को स्थिर नहीं रखा जा सकता है और अपील ज्ञापन के आधार सकारण होकर उचित व विधि सम्मत हैं।

21. फलतः दाण्डिक अपील वाद विचार स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.09.2012 को अपास्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थीगण को धारा 325/34 एवं 323 भा0दं0सं0 में की गई दोषसिद्धी और धारा 71 भा0दं0सं0 के आधार पर गुरुतर अपराध धारा 325/34 भा0दं0सं0 में दी गई दण्डाज्ञा एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/-रुपये का अर्थदण्ड अपास्त किया जाता है और आरोपी/अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण द्वारा जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे।

22. अपीलार्थीगण के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

22. प्रकरण में निराकरण के लिए कोई मुददेमाल नहीं है।

दिनांक 17 जुलाई 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर निर्णय मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड